03/08/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप0।

तहसीलदार धनाऊ से थाने से सम्बन्धित मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रार्थीगण वकील ने मौका रिपोर्ट अनुसार नकल सुनने का निवेदन किया। प्रार्थीगण वकील की नकल सुनी गयी। नकल पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि [illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः निर्णय [illegible] से लिखकर [illegible] शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। जरिये से वाद को।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2022 / 1066 दिनांक :– 5/08/2022

प्रेषित :– तहसीलदार सेड़वा / धनाऊ।

विषय :– राजस्व आवेदन संख्या 164 / 2021 अनवान साजनराम वगैरा बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में निर्णय दिनांक 03.08.2022 को पारित किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न कर लेख है कि निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 164 / 2021 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. साजनराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई
निवासी नर्मदा नहर कोलोनी वार्ड संख्या 6 सांचोर
तहसील सांचोर जिला जालोर
2. केली देवी पत्नी केसरीमल जाति विश्नोई
निवासी गंगापुरा भैरूडी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धनाऊ।

वकील प्रार्थीगण :– श्री बाबुलाल विश्नोई

सहायक कलक्टर सेड़वा

निर्णय

दिनांक 03.08.2022

प्रार्थीगण साजनराम पुत्र धनाराम वगैरा जाति विश्नोई निवासी नर्मदा नहर कोलोनी वार्ड संख्या 6 सांचोर तहसील सांचोर जिला जालौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा गगुपुरा पटवार हल्का गोहड़ का तला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सारला तहसील धनाऊ के खसरा सं. 76 रकबा 77.08 बीघा भूमि का आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणियां पर आने जाने के लिए विप्रार्थी राज्य सरकार की पडत जमीन के खेत खसरा संख्या 569 / 6 रकबा 36.05 बीघा किस्म बारानी सोयम में चल कर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु [illegible] रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है तथा एक मात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थीगण अपनी जोत से सड़क [illegible] [illegible] हो जाते है। एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की संभावना बनी रहती है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थी के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार धनाऊ को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजस्थान सरकार	569/6	36.05 बीघा	20 फीट	0.05 बीघा	तालसर	14136/–	बा. सो.
2.	राजस्थान सरकार	563/14	57.05 बीघा	20 फीट	0.10 बीघा	तालसर	28272/–	बा. सो.

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का [illegible]	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	[illegible]	7	8	9
1	राजस्थान सरकार	569/6	36.05 बीघा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]36/–	बा. सो.
2.	राजस्थान सरकार	563/14	57.05 बीघा	20 फीट	0.10 [illegible]	तालसर	28272/–	बा. सो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार धनाऊ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएससी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार धनाऊ को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं के द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा।

सहायक कलक्टर
SDO सेड़वा

सहायक कलक्टर सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:41 IST
Reason: SelfAttested

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 25.07.2022 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर

(रामजी भाई कलबी)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:33:41 IST
Reason: SelfAttested